



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-26102020-222741
CG-DL-E-26102020-222741

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3375]
No. 3375]

नई दिल्ली, सोमवार, अक्तूबर 26, 2020/कार्तिक 4, 1942
NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 26, 2020/KARTIKA 4, 1942

रेल मंत्रालय

[उत्तर पश्चिम रेलवे (निर्माण संगठन)]

अधिसूचना

जयपुर, 23 अक्तूबर, 2020

का.आ. 3804(अ).—केंद्रीय सरकार रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24 जिसे इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह समाधान हो जाने के पश्चात की लोक प्रयोजन के लिए यह भूमि जिसका संक्षिप्त विवरण उसके नीचे अनुसूची में दिया गया है, राजस्थान राज्य के अजमेर जिले में विशेष रेल परियोजना किमी 343.00 से 390.00 के भू भाग में (बांगडग्राम – गुडिया के मध्य) बांगडग्राम – गुडिया आंशिक दोहरीकरण (47 किमी) के निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबंधन एवं संचालन के लिये आपेक्षित है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के आशय की घोषणा करती है।

उक्त भूमि हितवद्द कोई व्यक्ति इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 7 दिन की अवधि के भीतर उक्त अधिनियम की धारा 20 की उप-धारा (1) के अधीन उपर्युक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के अर्जन और उपयोग के संबंध में आक्षेप कर सकेगा।

प्रत्येक ऐसा आदेश सक्षम अधिकारी अर्थात् सक्षम प्राधिकारी एवं उप खण्ड अधिकारी ब्यावर को लिखित रूप में किया जायेगा और उसमें उसके आधार उपवर्णित करेगा और सक्षम अधिकारी अपेक्षाकर्ता को व्यक्तिगत रूप से या विधि व्यवसायी के मध्यम से सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा और सभी ऐसे आक्षेपों की सुनवाई करने तथा ऐसी और जाँच यदि कोई है जिसे सक्षम अधिकारी आवश्यक समझे करने के पश्चात आदेशों द्वारा या तो आक्षेपों का अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 20 घ की उप- धारा (2) के अधीन सक्षम अधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश अन्तिम होगा।

इस अधिसूचना के अधीन आने वाली भूमि रेखांकन और भूमि के अन्य ब्यौरे उपलब्धी है और हितबद्ध व्यक्ति द्वारा सक्षम अधिकारी के उपर्युक्त कार्यालय में उनका निरक्षण किया जा सकेगा।

अनुसूची

भारतीय रेलवे विशेष रेल परियोजना बांगडग्राम-गुडिया आंशिक दोहरीकरण (47 किमी) के लिए आवासधीन सार्वजनिक भूमि का संरचना सहित या रहित संक्षिप्त विवरण :—

क्र.सं.	जिला	तहसील	ग्राम का नाम	खसरा संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि का प्रकृति	अवास किया जाने वाला रकबा (हेक्टर)
1	अजमेर	ब्यावर	बड़ीया गैना	16	निवास एवं बस्तियां	आवादी	0.1620
कुल रकबा (हेक्टर में)							0.1620

[फा. सं. NWR/HQ/S&C/443599200]

बृजेश कुमार गुप्ता, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (निर्माण)

MINISTRY OF RAILWAYS

[North Western Railway (Construction Organization)]

NOTIFICATION

Jaipur, the 23rd October, 2020

S.O. 3804(E).—In exercise of the powers conferred by subsection (1) of section 20A of the Railway Act, 1989, (24 of 1989) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for execution, maintenance, management and operation of Special Railway Project of **“Bangurgram-Guria patch doubling(47Km)”** in the stretch of land from KM 343.00 to 390.000 (between Bangurgram – Guria Section) in the district of Ajmer in the state of Rajasthan, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within a period of seven days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, raise objection to the acquisition and use of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of section 20D of the said Act.

Every such objection shall be made to competent authority, namely, the Sub divisional officer Beawer in writing and shall set out the grounds thereof, and the competent authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by legal practitioner and may, after hearing all such objection and after making such further enquiry, if any, as the competent authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the competent authority under sub-section (2) of section 20D of the said Act shall be final.

The land plans and other details of land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the competent authority.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure for Special Railway Project namely: **“Bangurgram-Guria patch doubling(47Km)”**.

“Bangurgram-Guria Patch doubling.”

Sr. No	District	Tehsil	Name of Village	Khasra No	Type of land	Nature of land	Area to be Acquired (Hect.)
1	Ajmer	Beawar	Badiya gaina	16	Residence & Settlements	Abadi	0.1620
Total area to be acquired in Hectare							0.1620

[F. No. NWR/HQ/S&C/443599200]

BRIJESH KUMAR GUPTA, Chief Administrative Officer (Construction)